

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्र. सं.

फर्द अहकाम

क्र. सं 128/16 तारीख 27.11.16

उजवान - भरोसी बनाम तहसीलदार
जेसनी

दावा बाबत इस्त करार हक व स्थायी निषेधाज्ञा
द्वारा 88, 100

वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने

दावा बाबत इस्त करार हक व स्थायी निषेधाज्ञा

पेश किया। आपत्त पत्र व वादपत्र का अवलोकन

किया गया। दावा दर्ज रजिस्ट्र कर प्रतिवादीगण

को जरिये सम्मन से तलब कर दिनांक 7-12-16

को पेश हो।

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

3496
9-11-16

7-12-16

वादी वकील उपज प्रतिवादीगण की ओर से पेश
सरकप उपज वास्ते जबल दिनांक 16-11-17 को पेश हो।

6/17

वादी व सरकार पेशकार उपस्थित। जबल पेश किया
वकील कोनकलडि लाई गयी। साइन्डा दिनांक 27-2-17



को पेश हो।

23-3-17

यकु वाप उपस्थित। आलानुसार दिनांक

23-3-17 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभी

दिनांक	फर्द अहकाम
23.3.17 	वकूलाय उप. / लानकीपात स्पण्ट की गड़ी वादी साक्ष्य पेश करने दि० 18.4.17 को पेश हो।
18.4.17	वकूलाय उप. / वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 17.5.17 को पेश हो।
17.5.17	पत्रावली राजस लोक अदालत न्याय आपके डा. कैम्प मॉन्ट्री में दि० 13.6.17 को पेश हो।
13 ⁶ /17 	पत्रावली राजस लोक अदालत न्याय आपके डार कैम्प मॉन्ट्री में पेश हुई। वादी न। भरोसी उपाखित। पेंरोकार सरकार उपाखित। वादी गण की कम्प ओर से दावा इस्तमर एक एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से प्रस्तुत किया है कि ग्राम जैसनी की भूमि ख नं० 1147 रकवा 23.77 हे किश्म चरागाह दर्ज है। इसे रसायिक ख नं० 727 रकवा 40 बीघा में से वादी को ख नं० 727/5 रकवा 5 बीघा चरानी आवंटित की थी आवंटन के आधार पर वादी के नाम नं० स० 145 दिनांक 2-2-1976 को तहदीक किया गया जमाबन्दी स० 2029-2032 में अत नं० का नोट अंकित हो गया। उक्त आवंटन के समय से वादी उक्त आराजी पर दखील एवं कब्ज है। रेवन्यू कर्मचारियों की भ्रूण से जमाबन्दी स० 2029-32 में अत नोट हजफ कर उक्त आराजी ख नं० 727/5 को वापिस चरागाह दर्ज कर दिया। उक्त भूमि पर वादी कब्ज एवं दखील है। अत वादी का दावा डिक्ली कर खोतदारी दर्ज करा कर पीतवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम

कि वादी के कब्जे का इतने दिखल न करे। प्रतिवादी की ओर से पेशेदार सरकार उपस्थित होकर जबाबदावा प्रस्तुत किया। कि आराजी ख. नं 727/5 रुकबा 5 कीघा भूमि पर आवंटन का कब्जा का इतने जही हेने, आवंटन की शर्तों की पालना नही करेन। सरराज खान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के नियम (रूपि हेतु भूमि आवंटन नियम 1970) के नियम 14(4) के अन्तर्गत निरस्त हो चुका है। ग्राम जैसनी की जमाबन्दी सं. 2033-36 के खाता सं. 16 पर आवंटन निरस्त को नोट अंकित है। भूमि की किस्म चरागाह दर्ज है वादी का दावा खारिज किया जावे।

वादी का सुना जया। पत्रावली का अवलोकन किया जया। मुताबिक रिकार्ड यह भूमि आवंटन नियमों के अन्तर्गत शर्तों का उल्लंघन कब्जा के समावमें आवंटन निरस्त होकर भूमि ख. नं 727/5 रुकबा 5 कीघा वापिस चरागाह दर्ज किया जाना रिकार्ड से प्रमाणित है इसलिए प्रकरण में तनकी पारतपा साक्ष्य रूप से निस्तारण करने के लिए जावे पलाये रूपना उचित नही समझता हूँ। यह प्रकरण निरस्तगी आदेश की अपील की सीपी के अन्तर्गत आता है।

अतः यह दावा वादी का इस्तकशरहक व स्थायी विषयान्ता खारिज किया जाता है। पर्याप्तिके आशे हो पत्रावली फैसल शुभार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.6.17 को लिखा जाकर खुले न्यायालय के मंच में सुनाया जया।


(जंगदेश आर्य)